सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 के अन्तर्गत

मद्यनिषेध विभाग से सम्बन्धित सूचीबद्ध सूचना

(1) मद्यनिषेध विभाग की विशिष्टियाँ, कार्य व कर्तव्य :

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद-47 में मादक वस्तुओं की बिक्री और उपभोग के निषेध का प्राविधान नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया गया है। संविधान की उक्त अवधारणा को साकार करने एवं समाज को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से मुक्त करने का उद्देश्य लेकर मद्यनिषेध विभाग वर्तमान में समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत कार्य कर रहा है।

(ख) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-2025 के लिए नेशनल एक्शन प्लान फार ड्रग डिमान्ड रिडक्शन (NAPDDR) की योजना तैयार की गयी है। जिस हेतु मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0 को नोडल विभाग नामित किया गया है। उक्त योजना शिक्षात्मक, जागरूकता, चिन्हीकरण, परामर्श, उपचार व ड्रग एडिक्ट के पुनर्वास तथा सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन हेतु केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों के सहयोगी प्रयासों पर केन्द्रित है। योजना का मुख्य उद्देश्य एक दीर्घकालीन रणनीति के तहत प्रभावित व्यक्ति और उसके परिवार में जन शिक्षा, उपचार एवं पुनर्वास के माध्यम से मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों में कमी लाना है।